आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12-10-17	**न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।** विविध वाद संख्या–147 / 2017 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता **उर्मिला कुंवर ———————— प्रथम पक्ष** बनाम **विनोद उराँव वगैरह—————— द्वितीय पक्ष** यह प्रक्रिया आवेदिका उर्मिला कुंवर पति स्व0 लक्ष्मण उराँव, ग्राम– मसिहानी, पो0+थाना– छतरपुर, जिला– पलामू ने 1. विनोद उराँव 2. प्रवेश उराँव दोनो के पिता– स्व0 विलाश उराँव सभी ग्राम– मसिहानी, पो0+थाना– छतरपुर, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 650 दिनांक 30.05.2017 के द्वारा थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जॉच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने अपने DR NO-1522/17 दिनांक 26.06.2017 से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है। जॉच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः– मौजा– मसिहानी, खाता सं0–42, प्लॉट सं0–243, रकबा–0.33 / 4डी0 चौहद्दी, उतर–अजय यादव दक्षिण–लक्ष्मण उराँव पूरब–पी0सी0सी0 रोड पश्चिम–विनोद उराँव के लिए विवादी भूमि के उपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखील किये। द्वितीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि विवादी भूमि प्रथम पक्ष के पूर्वज जगेशर उरॉव अपने भाई रमेशर उरॉव दोनो के पिता– स्व0 पाचू उरॉव ने केवला सं0 997 दिनांक 30.07.1962 को खरीद किये हैं। इस केवाला में प्रथम पक्ष 9 (नौ)कटठा 6(छः) धुर एवं रमेशर उरॉव 1(एक) कटठा भूमि खरीद किये हैं। उक्त भूमि मौजा–मसिहानी, थान–छत्तरपुर के खाता सं0–42, प्लॉट सं0–243, कुल रकबा–0.38 एकड़ लेटर उरॉव पिता– स्व0 लेदा उरॉव से दोनो व्यक्ति प्राप्त कर खरीदगी अनुसार आज तक दखल कब्जे में रहते आ रहे हैं। इस भूमि का मांग एक ही जगह मांग पंजी II के पेज सं0 101/5 पर कायम है। प्रथम पक्ष पूर्वज द्वारा खरीदगी भूमि पर खेती –बारी करते हैं तथा रामेष्वर उरॉव द्वितीय पक्ष के पूर्वज हैं जिनके द्वारा द्वितीय पक्ष का रहायसी मकान अवस्थित है। जिस मकान पर आज भी द्वितीय पक्ष निवास करते हैं। केवाला के अनुसार उक्त भूमि में द्वितीय पक्ष का जमीन खाली नहीं हैं। खाली भूमि प्रथम पक्ष का है जो प्रथम पक्ष के दखल–कब्जे में है। यह विवाद द्वितीय पक्ष के प्रधानमंत्री आवास मिलने के कारण उत्पन हुआ है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में लगान रसीद (2012–13) की छाया प्रति समर्पित किया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। थाना प्रभारी, छत्तरपुर द्वारा नोटिस का तामिल प्रतिवेदन बहस के समय तक उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आदेश पारीत करना उचीत प्रतित नहीं होता है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** **अनुमंडल दंडाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)। **अनुमंडल दंडाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)।	